



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062021-227811
CG-DL-E-23062021-227811

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 23, 2021/ आषाढ़ 2, 1943

No. 256]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 23, 2021/ ASHADHA 2, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2021

सं. 1-सीए(7)/196/2021.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का आगे और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप विनियमों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 23 सितंबर, 2020 में प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 23 सितंबर, 2020 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और जनता से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर संस्थान की परिषद् द्वारा विचार किया गया है ;

अतः, अब परिषद् उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) विनियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में,—

(i) विनियम 51 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“51. (1) ऐसा कोई आर्टिकलड सहायक, जिसने मध्यवर्ती (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा या वृत्तिक परीक्षा (परीक्षा-II) या मध्यवर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और इन विनियमों के अनुसार न्यूनतम अठारह मास का व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा किया है, औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए पात्र होगा।

(2)(क) कोई आर्टिकलड सहायक उपविनियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए केंद्रीय या राज्य सरकारों, केंद्रीय कानूनी और न्यायिक प्राधिकरणों, विनियामक निकायों, बैंकारी कंपनियों के ऐसे कार्यालयों में और केंद्रीय या राज्य सरकारों के विभागों, संस्थाओं या संगठनों में, जिनके संबंध में परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाए, औद्योगिक प्रशिक्षु के रूप में कार्य कर सकेगा; या

(ख) न्यूनतम नियत आस्तियां या न्यूनतम सकल आवर्त या न्यूनतम शेयर पूंजी रखने वाले ऐसे वित्तीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक उपक्रमों में, जिन्हें परिषद् द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाए, औद्योगिक प्रशिक्षु के रूप में कार्य कर सकेगा।

(3) कोई आर्टिकलड सहायक इस प्रकार का औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के अपने आशय की, ऐसे प्रशिक्षण के आरंभ होने की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व अपने प्रिंसिपल को सूचना देगा।

(4) औद्योगिक प्रशिक्षण की अवधि नौ मास से लेकर अठारह मास तक की हो सकेगी।

(5) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के किसी सदस्य के अधीन ही प्राप्त किया जाएगा। ऐसा कोई सहबद्ध, जो कम से कम तीन वर्ष की निरंतर अवधि के लिए सदस्य रहा है, एक समय पर एक औद्योगिक प्रशिक्षु को प्रशिक्षित करने के लिए हकदार होगा और कोई अध्येता एक समय पर दो औद्योगिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए हकदार होगा, चाहे ऐसे प्रशिक्षु आर्टिकलड सहायक हों या संपरीक्षा सहायक :

परंतु केंद्रीय या राज्य सरकारों, केंद्रीय कानूनी और न्यायिक प्राधिकरणों, विनियामक निकायों, बैंकारी कंपनियों के कार्यालयों में और केंद्रीय या राज्य सरकारों के अन्य विभागों, संस्थाओं या संगठनों की दशा में, औद्योगिक प्रशिक्षण उस सरकार, प्राधिकरण, निकाय, बैंक, केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग, संस्था या संगठन के ऐसे अधिकारी, जो कि संस्थान का सदस्य भी हो, द्वारा प्रदान किया जा सकेगा, जिसे परिषद् द्वारा समय-समय पर मान्यता प्रदान की जाए :

परंतु यह और कि ऐसे अधिकारी, जो कि संस्थान का सदस्य भी हो, की औद्योगिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की हकदारी का अवधारण परिषद् द्वारा समय-समय पर, सेवा के वर्षों की संख्या और संबद्ध विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(6) प्रशिक्षण संबंधी एक करार परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में किया जाएगा।

(7) औद्योगिक प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर, सदस्य तुरंत ही प्रशिक्षु को, परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसकी एक प्रति सचिव को भी अग्रेषित करेगा।

(8) इस विनियम के अधीन निर्दिष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण की अवधि को इन विनियमों के सभी प्रयोजनों के लिए आर्टिकल के अधीन सेवा के रूप में माना जाएगा परंतु उपविनियम (7) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किया जाना होगा।

(9) उपविनियम (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई आर्टिकलड सहायक किसी विदेश में, उस देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटेंट्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी लेखांकन निकाय के किसी सदस्य के अधीन छह से अठारह मास की अवधि के औद्योगिक प्रशिक्षण को, ऐसी रीति में, जिसे परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए, भी प्राप्त कर सकेगा।

(10) कोई सदस्य किसी प्रशिक्षु को, ऐसी रीति में, जिसे परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए, विदेश में तीन मास की अवधि तक का औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(11) औद्योगिक प्रशिक्षु को ऐसे मासिक वजीफे का संदाय किया जाएगा, जिसके संबंध में औद्योगिक प्रशिक्षु और औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले सदस्य के बीच में परस्पर रूप से सहमति हो।”;

(ii) विनियम 54 के उपविनियम (5) में, “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “अठारह मास” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) विनियम 58 में :

(क) उपविनियम (2) में,—

(अ) “यदि अतिरिक्त छुट्टियों की अवधि में उन प्रिंसीपल के अधीन, जिसके साथ ऐसे आर्टिकलड स्टूडेंट ने अपने आर्टिकलड का कार्य किया था, कौंसिल द्वारा स्वीकृत फार्म आर्टिकलड का पूरा कार्य पिछले आर्टिकलड को क्रमबद्धता के रूप में प्रस्तुत करना होगा” शब्दों के स्थान पर, “अतिरिक्त छुट्टियों की अवधि में उस प्रिंसीपल के अधीन, जिसके साथ ऐसे आर्टिकलड छात्र ने अपना आर्टिकलड संबंधी कार्य किया था, परिषद् द्वारा स्वीकृत प्ररूप में आर्टिकल संबंधी पूरा कार्य पिछले आर्टिकलड को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करेगा” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) “अपने आर्टिकलड का कार्य किया था” शब्दों के स्थान पर, “अपना आर्टिकल संबंधी कार्य किया था और” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपविनियम (4) का लोप किया जाएगा ।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./ 120/2021-22]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/134/88, तारीख 1 जून, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे :--

- (i) भारत के राजपत्र, तारीख 7 अक्तूबर, 1989 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/1/89 द्वारा प्रकाशित
- (ii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/10/90 द्वारा प्रकाशित
- (iii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/11/90 द्वारा प्रकाशित
- (iv) भारत के राजपत्र, तारीख 23 फरवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/12/91 द्वारा प्रकाशित
- (v) भारत के राजपत्र, तारीख 2 फरवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/13/90 द्वारा प्रकाशित
- (vi) भारत के राजपत्र, तारीख 7 मार्च, 1992 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/19/92 द्वारा प्रकाशित
- (vii) भारत के राजपत्र, तारीख 1 सितंबर, 1995 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/28/95 द्वारा प्रकाशित
- (viii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 13 मार्च, 1996 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/30/95 द्वारा प्रकाशित
- (ix) भारत के राजपत्र, तारीख 16 अगस्त, 1997 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/31/97 द्वारा प्रकाशित
- (x) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/44/99 द्वारा प्रकाशित
- (xi) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/45/99 द्वारा प्रकाशित
- (xii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 17 अगस्त, 2001 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/51/2000 द्वारा प्रकाशित
- (xiii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 सितंबर, 2001 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/59/2001 द्वारा प्रकाशित
- (xiv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 31 मार्च, 2003 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/64/2002 द्वारा प्रकाशित
- (xv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 4 दिसंबर, 2003 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/64ए/2003 द्वारा प्रकाशित
- (xvi) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 जुलाई, 2005 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/83/2005 द्वारा प्रकाशित
- (xvii) भारत के राजपत्र, तारीख 17 जून, 2006 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/84/2005 द्वारा प्रकाशित
- (xviii) भारत के राजपत्र, तारीख 13 सितंबर, 2006 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/92/2006 द्वारा प्रकाशित
- (xix) भारत के राजपत्र, तारीख 17 अगस्त, 2007 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/102/2007(अ) द्वारा प्रकाशित
- (xx) भारत के राजपत्र, तारीख 25 सितंबर, 2008 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/116/2008 द्वारा प्रकाशित
- (xxi) भारत के राजपत्र, तारीख 3 दिसंबर, 2008 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/123/2008 द्वारा प्रकाशित
- (xxii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 अगस्त, 2012 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/145/2012 द्वारा प्रकाशित
- (xxiii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 22 जुलाई, 2014 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/154/2014 द्वारा प्रकाशित
- (xxiv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 23 जनवरी, 2015 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/167/2014 द्वारा प्रकाशित
- (xxv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 25 मई, 2017 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/178/2016 द्वारा प्रकाशित
- (xxvi) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 19 अक्तूबर, 2020 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/193/2020 द्वारा प्रकाशित।

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi, the 22nd June, 2021

NOTIFICATION

No. 1-CA(7)/196/2021.—Whereas certain draft regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, were published as required by sub-section (3) of section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 23rd September, 2020, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of forty-five days from the date on which the said Gazette containing the said notification is made available to the public;

And Whereas the said Gazette was made available to the public on the 23rd September, 2020;

And Whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft regulations have been considered by the Council of the Institute;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the said Act, the Council, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, namely:-

1. Short title and Commencement, -

- (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988, -

(i). for regulation 51, the following regulation shall be substituted, namely:-

- “51. (1) An articled assistant who has passed the Intermediate (Professional Competence) Examination or Professional Education (Examination-II) or Intermediate examination and has completed a minimum of eighteen months of practical training according to these regulations shall be eligible for industrial training.
- (2) (a) An articled assistant may, serve as an industrial trainee for a period specified in sub-regulation (4) in the offices of the Central or State Governments, Central statutory and judicial authorities, regulatory bodies, banking companies and such other departments of Central or State Governments, Institution or Organisation as may be decided by the Council from time to time; or
 - (b) in any of the financial, commercial, industrial undertakings with minimum fixed assets or minimum total turnover or minimum paid-up share capital as may be approved by the Council from time to time.
 - (3) An articled assistant shall inform to his principal about such industrial training at least three months before the date on which such training is to commence.
 - (4) The period of industrial training may be between nine months to eighteen months.
 - (5) The industrial training shall be received under a member of the Institute. An Associate who has been a member for a continuous period of at least three years shall be entitled to train one industrial trainee at a time and a fellow shall be entitled to train two industrial trainees at a time, whether such trainees be articled assistants or audit assistants.

Provided that in the case of the Central or State Governments, Central statutory and judicial authorities, regulatory bodies, banking companies and other departments of Central or State Governments, Institution or Organisation, the industrial training shall be imparted by an officer who is also a member of the Institute of that Government, Authority, Body, Bank, Department of Central or State Government, Institution or Organisation, as may be recognised by the Council from time to time.

Provided further that the entitlement of such officer who is also a member of the Institute to train the industrial trainee shall be determined by the Council from time to time keeping in view the number of years of service and the nature of services being rendered by the department concerned.

- (6) An agreement of training shall be entered into in the form approved by the Council.

- (7) On completion of the industrial training, the member shall issue a certificate in the form approved by the Council to the trainee and forward a copy of the same to the Secretary.
- (8) The period of industrial training referred under this regulation, shall be treated as service under articles for all purposes of these Regulations, provided the certificate referred to in sub-regulation (7) is produced.
- (9) Subject to the provisions of sub-regulation (1), an articulated assistant may also serve as an industrial trainee for a period from six to eighteen months in any foreign Country under a member of the accountancy body in that country recognized by the International Federation of Accountants in such manner as may be determined by the Council from time to time.
- (10) A member may depute a trainee for industrial training upto a period of three months in any foreign Country, in such manner as may be determined by the Council.
- (11) The industrial trainee shall be paid such monthly stipend as may be agreed mutually between the industrial trainee and the member imparting the industrial training.”;
- (ii). in regulation 54, in sub-regulation (5), for the words “one year”, the words “eighteen months” shall be substituted.
- (iii). in regulation 58:
 - (a) in sub-regulation (2), -
 - (A) for the words “If the period of the excess leave taken is sought to be served”, the words “The period of excess leave taken shall be served” shall be substituted;
 - (B) for the words “last served his articles,” the words “last served his articles and” shall be substituted;
 - (b) sub-regulation (4) shall be omitted.

[CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy]
[ADVT.-III/4/Exty./120/2021-22]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number 1-CA(7)/134/88 dated 1st June, 1988 and subsequently amended by the following numbers:-

- (i) Notification No.1-CA(7)/1/89 published in the Gazette of India, dated 7th October, 1989
- (ii) Notification No.1-CA(7)/10/90 published in the Gazette of India, dated 19th January, 1991
- (iii) Notification No.1-CA(7)/11/90 published in the Gazette of India, dated 19th January, 1991
- (iv) Notification No.1-CA(7)/12/91 published in the Gazette of India, dated 23rd February, 1991
- (v) Notification No.1-CA(7)/13/90 published in the Gazette of India, dated 2nd February, 1991
- (vi) Notification No.1-CA(7)/19/92 published in the Gazette of India, dated 7th March, 1992.
- (vii) Notification No.1-CA(7)/28/95 published in the Gazette of India dated 1st September, 1995
- (viii) Notification No.1-CA(7)/30/95 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 13th March, 1996
- (ix) Notification No. 1-CA(7)/31/97 published in the Gazette of India, dated 16th August, 1997
- (x) Notification No. 1-CA(7)/44/99 published in the Gazette of India dated 26th February, 2000
- (xi) Notification No.1-CA(7)/45/99 published in the Gazette of India, dated 26th February, 2000
- (xii) Notification No.1-CA(7)/51/2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 17th August, 2001
- (xiii) Notification No.1-CA(7)/59/2001 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th September, 2001
- (xiv) Notification No.1-CA(7)/64/2002 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 31st March, 2003
- (xv) Notification No.1-CA(7)/64A/2003 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4th December, 2003
- (xvi) Notification No.1-CA(7)/83/2005 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th July, 2005
- (xvii) Notification No.1-CA(7)/84/2005 published in the Gazette of India, dated 17th June, 2006
- (xviii) Notification No. 1-CA(7)/92/2006 published in the Gazette of India, dated 13th September, 2006
- (xix) Notification No. 1-CA(7)/102/2007(E) published in the Gazette of India, dated 17th August, 2007
- (xx) Notification No.1-CA(7)/116/2008 published in the Gazette of India, dated 25th September, 2008

- (xxi) Notification No.1-CA(7)/123/2008 published in the Gazette of India, dated 3rd December, 2008
- (xxii) Notification No. 1-CA(7)/145/2012 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 1st August, 2012
- (xxiii) Notification No. 1-CA(7)/154/2014 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 22nd July, 2014
- (xxiv) Notification No. 1-CA(7)/167/2014 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 23rd January, 2015.
- (xxv) Notification No.1-CA(7)/178/2016 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 25th May, 2017.
- (xxvi) Notification No.1-CA(7)/193/2020 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 19th October, 2020.